राजस्थान–सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारीः–ललित मीना (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या–32/2022

1–ओमप्रकाश 2–राजेन्द्रसिंह पुत्रगण रामसिंह 3–दिनेशचन्द पुत्र लखमीचन्द जातिगण खाती निवासीगण टहरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज0) ....वादीगण

बनाम

1–अनारदेई पत्नी लखमीचन्द 2–पंचमसिंह पुत्र रामसिंह 3–अनारदेई पुत्री रामसिंह 4–पुष्पा पुत्री लखमीचन्द 5–भूरीसिंह पुत्र लखमीचन्द 6–भौजू पुत्री लखमीचन्द 7–मुकेश पुत्र लखमीचन्द 8–महेश पुत्र लखमीचन्द जातिगण खाती निवासीगण टहरी तहसील सैंपऊ, जिला धौलपुर ....प्रतिवादीगण

9–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ ....तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति – 1–श्री हजरत खां एडवोकेट ....(वादीगण)
2–श्री गिरीश व्यास एडवोकेट ....(प्रतिवादीगण)

निर्णय **दिनांक 21.12.2022**

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते विवादित आराजी खाता संख्या 19 के खसरा नम्बर 522, 523, 532, 533, 535 किता 5 कुल रकवा 1.9347 हैक्टेयर व खाता संख्या 222 के खसरा नम्बर 534 रकवा 0.0126 हैक्टेयर वाकेग्राम नौरंगाबाद तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण जरिये वकालतनामा पेश कर उपस्थित हुये एवं गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 14.07.2022 को दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांकःराजस्व/2022/582 दिनांक 17.10.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अभिभाषकगण को सुना गया तथा विद्वान वादीगण एवं प्रतिवादीगण अभिभाषक द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के बावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

...बत किया है। ऐसी स्थिति में दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम नौरंगाबाद पटवार हल्का टहरी तहसील सैपऊ के बावत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–ओमप्रकाश पुत्र रामसिंह जाति खाती सा0 टहरी खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	522	0.2276	चा.सो.
2–	523	0.3035	चा.सो.
3–	532/1	0.0493	चा.सो.

योग किता–3 रकवा– 0.5804 हैक्टेयर

2–राजेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति खाती सा0 टहरी खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	532/2	0.0619	चा.सो.
2–	533/1	0.5185	चा.सो.–0.3288, जा.सो. 0.1897

योग किता–2 रकवा– 0.5804 हैक्टेयर

3–पंचमसिंह पुत्र रामसिंह हिस्सा 1703/1935, अनारदेई पुत्री रामसिंह हिस्सा 232/1935 जाति खाती सा0 टहरी खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	532/4	0.1935	चा.सो.

योग किता–1 रकवा– 0.1935 हैक्टेयर

4–अनारदेई पत्नी स्व0 लखमीचन्द, भूरीसिंह गौड़, भोजू गौड़, मुकेश गौड़, महेश गौड़, पुत्रान व पुष्पा पुत्री पिसरान लखमीचन्द हि0ब0 1194/1451 दिनेशचन्द पुत्र लखमीचन्द हिस्सा 257/1451 जातिगण खाती सा0 टहरी खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	535	0.3920	चा.सो.–0.2023,जा.सो.–0.1897
2–	533/2	0.1264	जा.सो.
3–	532/3	0.0620	चा.सो.

योग किता–3 रकवा–0.5804 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

अनारदेई पत्नी स्व0 लखमीचन्द, दिनेशचन्द, भूरीसिंह गौड़, भौजू गौड़, मुकेश गौड़, ...श गौड़ पुत्रान व पुष्पा पुत्री पिसरान लखमीचन्द हि0ब0 7/30 अनारदेई पुत्री ...रामसिंह हिस्सा 1/15 पंचमसिंह हिस्सा 7/30, नाबालिग ओमप्रकाश हिस्सा 7/30 नाबालिग राजेन्द्रसिंह हिस्सा 7/30 पुत्रान रामसिंह नाबालिग सरपरस्ती माता समस्त जातिगण खाती सा0 टहरी खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1—	534	0.0126	गै.मु.कुआ

योग	किता—1	रकवा—0.0126 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक—पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक—दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व दफा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उप जिला कलक्टर
सैपऊ
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

राजस्थान–सरकार

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अदालत – उप जिला कलक्टर सैंपऊ
इजलास –ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या–32 / 2022

1–ओमप्रकाश 2–राजेन्द्रसिंह पुत्रगण रामसिंह 3–दिनेशचन्द पुत्र लखमीचन्द जातिगण खाती निवासीगण टहरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज0) ....वादीगण

बनाम

1–अनारदेई पत्नी लखमीचन्द 2–पंचमसिंह पुत्र रामसिंह 3–अनारदेई पुत्री रामसिंह 4–पुष्पा पुत्री लखमीचन्द 5–भूरीसिंह पुत्र लखमीचन्द 6–भौजू पुत्री लखमीचन्द 7–मुकेश पुत्र लखमीचन्द 8–महेश पुत्र लखमीचन्द जातिगण खाती निवासीगण टहरी तहसील सैंपऊ, जिला धौलपुर
..........................प्रतिवादीगण

9–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ ....तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम एवं स्थाई निषेधाज्ञा

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ ललित मीना (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री हजरत खां एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह श्री गिरीश व्यास एडवोकेट को पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है। कि दीवा वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम नौरंगाबाद पटवार हल्का टहरी तहसील सैपऊ के बाबत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–ओमप्रकाश पुत्र रामसिंह जाति खाती सा0 टहरी खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	522	0.2276	चा.सो.
2–	523	0.3035	चा.सो.
3–	532 / 1	0.0493	चा.सो.
योग	किता–3	रकवा– 0.5804 हैक्टेयर	

2–राजेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति खाती सा0 टहरी खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	532 / 2	0.0619	चा.सो.
2–	533 / 1	0.5185	चा.सो.–0.3288, जा.सो. 0.1897
योग	किता–2	रकवा– 0.5804 हैक्टेयर	

3–पंचमसिंह पुत्र रामसिंह हिस्सा 1703 / 1935, अनारदेई पुत्री रामसिंह हिस्सा 232 / 1935 जाति खाती सा0 टहरी खातेदार।

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

खाo नंo	रकवा	किस्म
532/4	0.1935	चा.सो.

किता–1 रकवा– 0.1935 हैक्टेयर

अनारदेई पत्नी स्व0 लखमीचन्द, भूरीसिंह गौड़, भोजू गौड़, मुकेश गौड़, महेश गौड़, पुत्रान व पुष्पा पुत्री पिसरान लखमीचन्द हि0ब0 1194/1451 दिनेशचन्द पुत्र लखमीचन्द हिस्सा 257/1451 जातिगण खाती सा0 टहरी खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	535	0.3920	चा.सो.–0.2023,जा.सो.–0.1897
2–	533/2	0.1264	जा.सो.
3–	532/3	0.0620	चा.सो.

योग किता–3 रकवा–0.5804 हैक्टेयर

5– अनारदेई पत्नी स्व0 लखमीचन्द, दिनेशचन्द, भूरीसिंह गौड़, भौजू गौड़, मुकेश गौड़, महेश गौड़ पुत्रान व पुष्पा पुत्री पिसरान लखमीचन्द हि0ब0 7/30 अनारदेई पुत्री रामसिंह हिस्सा 1/45 पंचमसिंह हिस्सा 7/30, नाबालिग ओमप्रकाश हिस्सा 7/30 नाबालिग राजेन्द्रसिंह हिस्सा 7/30 पुत्रान रामसिंह नाबालिग सरपरस्ती माता समस्त जातिगण खाती सा0 टहरी खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	534	0.0126	गै.मु.कुआ

योग किता–1 रकवा–0.0126 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक–दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

वशव्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.12.2022 को जारी की गई।

(ललित मीना)
उप जिला कलक्टर
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ